

पर्चा डिक्री

(आर्देर 20, फल 8-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. धन्नाराम पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. ख्यालीराम पुत्र गुगनराम जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर।
2. सुमित्रा पत्नी धन्नाराम जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर।
3. रोशनी पुत्री धन्नाराम जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर।
4. शान्ती पुत्री धन्नाराम जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर।
5. सिलोचना पुत्री धन्नाराम जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर।
6. बिमला पुत्री धन्नाराम जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर।
7. सरला पुत्री धन्नाराम जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर।
8. बाला पुत्री धन्नाराम जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 157 सन 2021 निर्णय दिनांक- 01/07/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 80/78 की कुल 49.3660 हैक् में से 1/6 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा मेधना के खाता संख्या 178/178 की भूमि एवं खाता संख्या 313/312 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे वय्य वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/07/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीछासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोवर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 157 सन 2022

अंनवान :-

1. धन्नाराम पुत्र छ्यालीराम जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. छ्यालीराम पुत्र गुगनराम जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर।
2. सुमित्रा पत्नी धन्नाराम जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर।
3. रोशनी पुत्री धन्नाराम जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर।
4. शान्ती पुत्री धन्नाराम जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर।
5. सिलोचना पुत्री धन्नाराम जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर।
6. बिमला पुत्री धन्नाराम जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर।
7. सरला पुत्री धन्नाराम जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर।
8. बाला पुत्री धन्नाराम जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री माणेराम गोदारा अधिवक्ता वादी

पैसेकार राज

निर्णय दिनांक :- 01/07/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 80/78 की कुल 49.3660 हैक् में से 1/6 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा गुगनराम वल्द गणपतराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा गुगनराम वल्द गणपतराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा गुगनराम वल्द गणपतराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है ने अन्य खातों में भूमि रखी जाकर वाद भूमि में अपने हकों का त्याग किया जा चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 2 वादी की माता है प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि का वादी खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता गुगनराम वल्द गणपतराम के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने एक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पुत्र वादी के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दादा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 9 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साथ में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 80/78 की कुल 49.3660 हैक्ट में से 1/6 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा गुगनराम वल्द गणपतराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा गुगनराम वल्द गणपतराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा गुगनराम वल्द गणपतराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है ने अन्य खातों में भूमि रखी जाकर वाद भूमि में अपने हकों का त्याग किया जा चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 2 वादी की माता है प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आर.आर.डी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 80/78 की कुल 49.3660 हैक्ट में से 1/6 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

जमानबन्दी सम्मत 2029 से 2038 मु.प्र.बन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि गुगनराम वल्द गणपतराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा गुगनराम वल्द गणपतराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा गुगनराम वल्द गणपतराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना अंकित है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 .8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में

22

व्यवस्था अधिकारी
मेरठ

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 8-7 जाहा विधानी)

न्यायालय सहायक क्लर्क एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. धन्नाराम पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ। वादी

बनाम


1. ख्यालीराम पुत्र गुगनराम जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर।
2. सुमित्रा पत्नी धन्नाराम जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर।
3. रोशनी पुत्री धन्नाराम जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर।
4. शान्ती पुत्री धन्नाराम जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर।
5. सिलोचना पुत्री धन्नाराम जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर।
6. बिमला पुत्री धन्नाराम जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर।
7. सरला पुत्री धन्नाराम जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर।
8. बाला पुत्री धन्नाराम जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ। प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 157 सन 2021 निर्णय दिनांक- 01/07/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 80/78 की कुल 49.3660 हैक्टर में से 1/6 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा मेघना के खाता संख्या 178/178 की भूमि एवं खाता संख्या 313/312 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/07/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर